


अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, पुराना धमतरी रोड सेजबहार रायपुर छ0ग0 का इस विभाग के अधिकारी वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी एवं डी.एस.पी. फायर द्वारा दिनांक 24.02.2020 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1- सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालात में रखा जावे, इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2- अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है, तो इस प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3- अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाए।
- 4- बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5- मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6- अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, पुराना धमतरी रोड सेजबहार रायपुर छ0ग0 में स्थापित सभी अग्निशमन उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, पुराना धमतरी रोड सेजबहार रायपुर छ0ग0 की रहेगी, जिसके लिए नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

जारी दिनांक 26.02.2020

  
Deputy Inspector General  
SDRE & Fire Services  
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
Home Guard, HQ, Chhattisgarh